

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर  
प्रकरण संख्या 133/2012 (रैफरैन्स-82 एल आर एक्ट)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर। .....प्रार्थी

बनाम

(मृतक) रामजीलाल पुत्र मौहरया कौम मीना नि० ग्राम भैसीना तह० वैर जिला भरतपुर।

1. हजारी } पुत्र रामजीलाल जाति मीना नि० ग्राम भैसीना तह० वैर जिला भरतपुर।
2. हेतराम }
3. छोटा पत्नि रामजीलाल जाति मीना नि० ग्राम भैसीना तह० वैर जिला भरतपुर।
4. केशन्ती पुत्री रामजीलाल पत्नि किरोडीलाल मीना कमालपुरा तह० महवा (दौसा)
5. रामा पुत्री रामजीलाल पत्नि फूलसिंह मीना दतिया तह० कठूमर जिला अलवर।
6. माया पुत्री रामजीलाल पत्नि भरोसी मीना दतिया, तह० कठूमर जिला अलवर।

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956  
निरस्त करने आवंटन व नामान्तरकरण संख्या 297,593 आराजी  
खसरा नम्बर 654/1 रकबा 1.04 वीघा गै०मु० पोखर वाकै ग्राम  
भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित:- 1. पैरोकार सरकार

**निर्णय**

**दिनांक: 23.2.2018**

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82  
रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त करने आवंटन आ०ख०नं० 654/1 रकबा 1.04  
वीघा गै०मु० पोखर वाकै ग्राम भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत  
किया गया है। बाद न्यायिक कार्यवाही बाबजूद सूचना अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।  
नियत दिनांक को पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित  
तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आ०ख०नं० 654/1  
रकबा 1.04 वीघा गै०मु० पोखर वाकै ग्राम भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर जो  
सार्वजनिक उपयोग की है उक्त रकबा किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। सार्वजनिक  
उपयोग की गैरमुमकिन पोखर/नदी आराजी का प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध  
आवंटन/नियमन किया गया है। जबकि ऐसी भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955  
की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है जिसका आवंटन/नियमन किया जाना विधि विरुद्ध  
है। यह कि आराजी के संदर्भ में आराजी का आवंटन दिनांक 5.10.1970 को अप्रार्थी को  
किया गया है जिसका गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 297 दर्ज हुआ तदोपरान्त जरिये  
नामान्तरकरण संख्या 593 अप्रार्थी को खातेदारी दी गई है। आवंटन आदेश गुर्जर आरक्षण  
में अग्निकाण्ड में जलने के कारण संलग्न नहीं है। यद्यपि अस्थाई आवंटन आदेश संलग्न  
नहीं है किन्तु नकल जमाबन्दी 2022-2025 एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2059-2062  
नकल नामान्तरकरण संख्या 297 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 593 से यह तथ्य साबित  
होता है। जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 297 दर्ज हुआ तदोपरान्त

खातेदारी का नामान्तरकरण 593 खोला गया। जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है जब आधार हीन आवंटन ही निरस्त योग्य है तो एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण भी निरस्तनीय है। आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 – अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे सार्वजनिक उपयोग की आराजी गैर मुमकिन नदी/पोखर के किये गये आवंटन एव नियमन को विधि विरुद्ध माना गया है। कथनों के समर्थन में पत्रावली में नकल जमाबन्दी सम्बत 2022-2025, सम्बत 2059-2062 एव नामान्तरकरण संख्या 297, 593 की प्रमाणित प्रतियां प्रतियां संलग्न की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आ0ख0नं0 654/1 रकबा 1.04 वीघा गै0मु0 पोखर वाकै ग्राम भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर जो सार्वजनिक उपयोग की है संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी सम्बत 2022-2025, सम्बत 2059-2062 एव नामान्तरकरण संख्या 297, 593 की प्रमाणित प्रतियों से यह साबित होता कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पोखर अंकित है। जिसका आवंटन भी विधि विरुद्ध है तथा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 297, 593 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। वहालत मौजूदा रिकार्ड से उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन पोखर होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी सार्वजनिक भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना वर्जित है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग कि भूमि पर किये आवंटन / नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुये भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जब आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध एवं निरस्त योग्य रहता है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण खातेदारी/बयानामा निरस्त योग्य रहते है। पैरोकार सरकार के कथनों से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रा0भू0रा0अधि0 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है। विवादित आ0ख0नं0 654/1 रकबा 1.04 वीघा गै0मु0 पोखर वाकै ग्राम भैसीना तहसील वैर जिला भरतपुर का अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जावे तथा आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 297, 593 शून्य होने के कारण निरस्त किये जावे। तथा विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति गैर मुमकिन पोखर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। असल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2018 को सुनाया गया।

**अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर**